UPBJ010023872016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

सत्र परीक्षण संख्याः– 214/2016

राज्य **बनाम** संजय गुप्ता आदि
मुकदमा अपराध संख्या 1103/2012
धारा– 147,364/149,302/149,201 भा.दं.सं.
थाना– धामपुर, जनपद– बिजनौर।

दिनांक 16–07–2024

01. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। साक्षी पी0डब्लू0–6 प्राची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–197 पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र ख–197

02. वादी मुकदमा स्व0 आलोक अग्रवाल की पुत्री प्राची (साक्षी पी0डब्लू0–6) की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–197 साक्षीगण राज कुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी एवं अतुल अग्रवाल को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थिनी पी0डब्लू0–6 के अपने मुख्य साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि दिनांक 25–12–2012 को एक मीटिंग शम्भा बाजार बिजनौर में रजनीश अग्रवाल, अतुल अग्रवाल आदि ने बुलायी थी, जिसमें हमें भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पापा स्व0 श्री आलोक अग्रवाल एवं राज कुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी, अतुल अग्रवाल आदि लोग गये थे। यह मीटिंग प्रबल अग्रवाल की बाबत थी। जब प्रार्थिनी मीटिंग में पहुंची तो अभियुक्त जिनमें आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल नमकीन वाले, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल एवं उसके पापा अरविन्द अग्रवाल मौजूद थे तो ये लोग प्रार्थिनी के पापा स्व0 श्री आलोक अग्रवाल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये एवं इन्होंने प्रार्थिनी के पापा को सम्बोधित करते हुये कि अग्रवाल साहब आपका बेटा हमसे मारा गया है, इन लोगों ने दुबारा खाली चैक दिखाया और कहा कि जितना मन हो उतना रुपया भर लो, इस पर पापा ने कहा कि मेरा तो इकलौता बेटा है आपके तो दो–दो, तीन–तीन बेटे हैं, जिसे मन चाहे अपने हाथ से मार दो हमने वापस केस लेने से मना किया और हम लोग जाने लगे तो ये लोग आपस में कहने लगे कि देख लेंगे। इस प्रकार आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल नमकील वाले, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल एवं उसके पापा अरविन्द अग्रवाल ने प्रार्थिनी ने स्व0 पापा श्री आलोक अग्रवाल एवं राज कुमार अग्रवाल पुत्र राम अवतार अग्रवाल 125 नील कमल रोड़ नई

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2024.07.16 15:36:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बस्ती बी–14 बिजनौर जिला बिजनौर, अनुराग रस्तौगी पुत्र राज कुमार रस्तौगी निवासी मौहल्ला पटवारिया स्योहारा थाना स्योहारा जिला बिजनौर एवं अतुल अग्रवाल पुत्र अग्रवाल जी निवासी मौहल्ला कुंवर बाल गोविन्द राम का चौराहा थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर के समक्ष प्रबल की हत्या करने व उसके हत्या के एवज में चैक द्वारा प्रलोभन देने एवं देख लेने की धमकी देने का जुर्म स्वीकार किया है, परन्तु विवेचक ने मुल्जिमान से हमसाज होने के कारण अतुल अग्रवाल, राज कुमार अग्रवाल व अनुराग रस्तौगी को चार्जशीट में साक्षी नहीं बनाया है। उपरोक्त वाद में बतौर साक्ष्य राज कुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी व अतुल अग्रवाल का साक्ष्य न्यायालय में होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद उपरोक्त में साक्ष्य हेतु राज कुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी एवं अतुल अग्रवाल को तलब किये जाने की याचना की गयी है।

03. वादी मुकदमा की पुत्री प्राची द्वारा धारा 311 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–197 के विरुद्ध अभियुक्तगण संजय गुप्ता आदि की ओर से आपत्ति कागज सं0 ख–202 में कथन किया गया है कि प्राची पुत्र स्व0 श्री आलोक अग्रवाल के द्वारा दिया गया धारा 311 दं0प्र0सं0 का प्रार्थनापत्र कानूनी रूप से गलत है तथा पोषणीय नहीं है। धारा 311 दं0प्र0सं0 न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है। यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता हो। प्राची द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र में धारा 311 दं0प्र0सं0 के अवयव की पूर्ति नहीं होती है। प्रस्तुत वाद में अभी सबूत पक्ष का साक्ष्य चल रहा है, जिसको सरकारी वकील साहब करा रहे हैं। चार्जशीट में बाईस गवाह नामित हैं, जिनमें से सबूत पक्ष ने अभी तक छः गवाह ही सुनाये हैं। अभी धारा 311 दं0प्र0सं0 की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने का समय भी नहीं है। धारा 311 दं0प्र0सं0 नई साक्ष्य बनाने अथवा प्रयोग करने का अधिकार नहीं देती है। पी0डब्लू0–6 के बयान में किसी मीटिंग में राजकुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी एवं अतुल अग्रवाल आदि का होना अंकित है। राजकुमार अग्रवाल अनुराग रस्तौगी एवं अतुल अग्रवाल की बयान में बल्दियत पता आदि अंकित नहीं है। यह लोग कौन है, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली में शामिल अभिलेखों से ऐसा लगता है कि इस केस में अतुल अग्रवाल का नाम बतौर अभियुक्त लिया जा रहा था। अज्ञात कारणोवश प्राची, अतुल अग्रवाल को अब बतौर गवाह तलब कराना चाहती है। प्रार्थनापत्र धारा 311 दं0प्र0सं0 में बल्दियत और पता दिया गया है वह पी0डब्लू0–6 के बयान में आये हुये व्यक्तियों का है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। प्राची इस केस में वादिनी नहीं है, उसका बयान बतौर गवाह हुआ है। पी0डब्लू0–6 के बयान में कथित मीटिंग में किसी अनुपम रस्तौगी का नाम अंकित है, अनुराग रस्तौगी का नहीं। जबकि सबूत पक्ष अनुराग रस्तौगी को तलब कराना चाहता है, जिसका पत्रावली में कहीं कोई जिक्र नहीं है। धारा 311 दं0प्र0सं0 के प्रार्थनापत्र में जो तथ्य अंकित है उस बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई तस्करा नहीं है। वादी द्वारा भिन्न–भिन्न स्तर पर भिन्न–भिन्न अधिकारियों को दिये प्रार्थनापत्र में भी कोई जिक्र नहीं है। वादी तथा पी0डब्लू0–6 ने भिन्न–भिन्न स्तरों पर प्रार्थनापत्र दिये है। न्यायालय में एवं सी0जे0एम0, बिजनौर के

न्यायालय में भी उपरोक्त तथ्य अंकित नहीं है। इस प्रकार अपने प्रभाव के लोगों को अदालत के माध्यम से गवाह बना कर प्राची अदालत की शक्तियों का दुरूपयोग करना चाहती है। न्यायालय को दिये गये प्रार्थनापत्र एवं पी0डब्लू0–6 के बयानों में दिये गये नामें में भी विरोधाभास प्रतीत होता है। उपरोक्त कारणों से प्राची द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

04. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

05. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा आलोक अग्रवाल द्वारा दी गयी तहरीर दिनांकित 23–12–2012 के आधार पर अभियुक्तगण दीपू, लच्छू मल का पोता नाम पता अज्ञात, अजय अग्रवाल उर्फ राजू, घनश्याम दास गुप्ता चक्की वालों का छोटा लड़का नई बस्ती, अरविन्द कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1103/2012 धारा 364 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता, रीशू व अनुज गुप्ता के विरुद्ध धारा 147, 149, 364, 302, 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता व अनुज गुप्ता के विरूद्ध धारा 3147, 364/149, 302/149, 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप दिनांक 23–08–2016 को विरचित किया गया। आरोप विरचन के पश्चात् अभियोजन की ओर से साक्षीगण पी0डब्लू0–1 प्रवीन कुमार, पी0डब्लू0–2 मुकेश कुमार अग्रवाल, पी0डब्लू0–3 सौराज सिंह, पी0डब्लू0–4 मदन, पी0डब्लू0–5 सोनू शर्मा एवं पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल को परीक्षित कराया गया है।

06. पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता के विरुद्ध एवं अभियुक्त अनुज गुप्ता के विरुद्ध पृथक–पृथक आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं, उक्त दोनों आरोप पत्रों में 22 से अधिक गवाहान का नाम गवाहान सूची में अंकित किया गया है। मामले में अभी तक मात्र 6 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है तथा आरोप पत्र में अंकित और भी गवाहान की साक्ष्य शेष है। साक्षी पी0डब्लू0–6 प्राची अग्रवाल प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा की पुत्री है तथा उसकी ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 में यह कथित करते हुये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है कि 'वह दिनांक 25–12–2012 को जब मीटिंग में पहुंची तो अभियुक्त आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल नमकीन वाले, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल एवं उसके पापा अरविन्द अग्रवाल मौजूद थे तो ये लोग उसके पापा स्व0 श्री आलोक अग्रवाल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये एवं इन्होंने उसके पापा को सम्बोधित करते हुये कि अग्रवाल साहब आपका बेटा हमसे मारा गया है, इन लोगों ने दुबारा खाली चैक दिखाया और कहा कि जितना मन हो उतना रुपया भर लो। इस प्रकार आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल नमकील वाले, विनय अग्रवाल, संजय गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल एवं उसके पापा अरविन्द अग्रवाल ने उसने स्व0 पापा श्री

आलोक अग्रवाल एवं राज कुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी एवं अतुल अग्रवाल के समक्ष प्रबल की हत्या करने व उसके हत्या के एवज में चैक द्वारा प्रलोभन देने एवं देख लेने की धमकी देने का जुर्म स्वीकार किया है।' उक्त आधार पर राज कुमार अग्रवाल, अनुराग रस्तौगी एवं अतुल अग्रवाल को साक्ष्य में तलब किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त तीनों ही लोगों का नाम आरोप पत्र में साक्षी के रूप में अंकित नहीं है। चूंकि प्रकरण में अभी आरोप पत्र में अंकित अन्य साक्षीगण की साक्ष्य होनी शेष है। अतः आरोप पत्र के आवश्यक साक्षीगण की साक्ष्य अभियोजन द्वारा कराये जाने के पश्चात् प्रार्थिनी/साक्षी पी0डब्लू0–6 के प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाना उचित होगा।

07. उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थिनी ने प्रार्थनापत्र कागज सं0 ख–197 पर आरोप पत्र के अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य अंकित करा लिये जाने के उपरान्त विचार किया जायेगा। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य, दिनांक 25–07–2024 को पेश हो। शेष अभियोजन साक्षी जरिये समन तलब हो।

दिनाँक 16–07–2024

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।